अध्याय VI
राज्य शासन के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन

अध्याय VI

राज्य शासन के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा–18 विनिर्दिष्ट करती है कि प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। उस विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी जो आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विद्यालय हेतु मान एवं मानकों की पूर्ति करता हो। मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने पर लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले ली जाएगी एवं इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को आस–पास के विद्यालयों में प्रवेश दिए जाएगा। मध्य प्रदेश में, जिला शिक्षा अधिकारी आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिहित अधिकारी है।

कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय चलाता है या मान्यता वापस लिए जाने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, उसके द्वारा ₹ एक लाख का जुर्माना देय था। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 19 विनिर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय मानदण्डों का पालन नहीं करता है तो ऐसा विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष के भीतर मानदंडों की पूर्ति के लिए कदम उठाएगा। यदि विद्यालय मानदण्डों की पूर्ति करने में असफल रहता है तो मान्यता वापस ले ली जाएगी और विद्यालय बंद कर दिया जाएगा।

6.1 निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता

मध्य प्रदेश शिक्षा का अधिकार नियम–11 विनिर्दिष्ट करता है कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व एवं बाद में स्थापित निजी विद्यालय नियमों के प्रकाशन अर्थात 26 मार्च 2011 से चार महीने के भीतर डी.ई.ओ. को आवेदन करेंगे। डी.ई.ओ. को संबोधित आवेदन बी.ई.ई.ओ. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। बी.ई.ई.ओ. विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करेगा एवं आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर मूल आवेदन फार्म को अपने प्रतिवेदन के साथ डी.ई.ओ. को भेजेगा। यदि विद्यालय आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मान एवं मानकों की पूर्ति करता है, डी.ई.ओ. विद्यालय का निरीक्षण कर या करवा सकता है। डी.ई.ओ. के संतुष्ट होने पर, इस नियम में विहित शर्तों के अधीन, मान्यता हेतु दिए गए आवेदन के दिनांक से 45 दिन के अंदर निर्धारित फार्म में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा। मान्यता की वैधता तीन वर्षों के लिए होगी।

विद्यालयों की मान्यता वैधता अवधि समाप्ति से कम से कम 45 दिन पूर्व, मान्यता के नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा। यदि अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित विद्यालय निर्धारित मान एवं मानकों की पूर्ति नहीं करते है तो डी.ई.ओ. ऐसे विद्यालयों को अधिनियम के प्रारंम्भ होने की तिथि से तीन वर्षो अर्थात मार्च 2013 तक निर्धारित प्रपत्र में अनंतिम मान्यता जारी करेगा। यदि विद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता का दावा करने में असफल होता है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त हो जाएगी। यदि विद्यालय मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो डी.ई.ओ. स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन से मान्यता वापस लेने के लिए आदेश जारी कर सकता है।

अभिलेखों की संवीक्षा एंव विभाग के शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित अवलोकित हुआ :

6.1.1 निजी क्षेत्र के विद्यालयों के अभिलेखों का संधारण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि निजी विद्यालयों का प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप, जब तक कि विद्यालय ने स्व घोषणा नहीं की हो या यू–डाईस नंबर आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त न हुआ हो, विभाग मान्यता प्राप्त किए बिना चल रहे विद्यालयों की संख्या का निर्धारण नहीं कर सकता था। मान्यता प्रदान किए गए निजी विद्यालयों की संख्या, अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए स्कूलों की संख्या और बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों की संख्या से संबंधित वर्षवार आंकड़ें आर.एस.के. स्तर पर उपलब्ध नहीं थे।

राज्य ने वर्ष 2010–11 से शिक्षा पोर्टल के माध्यम से निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया को अपनाया था। पोर्टल पर वर्तमान अवधि की मान्यता से संबंधित डाटा उपलब्ध थे लेकिन अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए स्कूलों की संख्या से संबंधित पूर्व वर्षों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात विद्यालयों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी एवं उस जानकारी की बी.ई.ई.ओ. द्वारा डी.ई.ओ. को प्रस्तुती तथा डी.ई.ओ. द्वारा मान्यता प्रदान करने की दिनांक न तो पोर्टल पर उपलबध थी और न ही डी.ई.ओ. के पास थी। चूँकि पोर्टल डाटा समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा था, भविष्य में अस्पष्टता से बचने के लिए एवं मान्यता के प्रभावी अनुवीक्षण हेतु इन अभिलेखों का संधारण आवश्यक था।

निजी क्षेत्र के स्कूलों के प्रारंभ होने, संचालित एंव बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। मान्यता संबंधी अभिलेख डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ई.ओ. द्वारा संधारित नही किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने अनंतिम एवं स्थायी मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों, मान्यता हेतु अस्वीकृत किये गये आवेदनों अथवा विद्यालय जिनकी मान्यता लंबित थी, का वर्षवार डाटा संधारित नहीं किया था। तथापि, डी.ई.ओ. छिंदवाडा, दतिया, धार, मुरैना, पन्ना, रतलाम एवं सिंगरौली द्वारा कुछ आंशिक जानकारी प्रस्तुत की थी। नमूना जांच किए गए तीन जिलों भोपाल, दतिया और इंदौर में, बी.ई.ई.ओ. द्वारा विद्यालयों के प्रस्ताव के साथ मूल आवेदन पत्र डी.ई.ओ. को प्रस्तुत करने में असफल रहने से ये दस्तावेज डी.ई.ओ. कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि बी.ई.ई.ओ./बी.आर.सी.सी. ने, मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों के अभिलेख एवं उनके द्वारा डी.ई.ओ. को अग्रेषित मान्यता के प्रकरणों के अभिलेख संधारित नहीं किए थे।

शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2010–16 के दौरान 13 नमूना जांच किए गए जिलों में 1,705 विद्यालयों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए थे। तथापि इन अस्वीकृत विद्यालयों के संचालित होने या बंद होने की जानकारी डी.ई.ओ. के पास उपलब्ध नहीं थी। डी.ई.ओ. द्वारा विद्यालय के मान्यता के प्रस्ताव की अस्वीकृति के संबंध में जानकारी, बी.ई.ई.ओ. की संज्ञान में नहीं थी, जिसने प्रारंभ में विद्यालयों की स्थिति को सत्यापित किया था।

आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों, जिला शहडोल को छोडकर, में 2010–13 के दौरान 350 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन, पोर्टल में इन विद्यालयों की मान्यता की अवधि एक जनवरी, 1900 से एक जनवरी, 1900 दर्शाई गई थी। डी.ई.ओ. मान्यता की अवधि, जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र वास्तव में जारी किए गए थे, को स्पष्ट न कर सके।

मान्यता प्रदान करने (डी.ई.ओ.) एवं यू–डाईस कोड का आवंटन करने (डी.पी.सी.) के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के मध्य अभिसरण नहीं था। नमूना जांच किए गए जिलों, दतिया को छोड़कर, विभाग ने 7,613 विद्यालयों के यू–डाईस कोड आवंटित किया था किंतु शिक्षा पोर्टल पर इन जिलों में मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 8,599 दर्शाई गई थी। 2015–16 तक आठ जिलों बालाघाट, भोपाल, धार, झाबुआ, मुरैना, रतलाम,

शहडोल और सिंगरौली में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या यू–डाईस कोड आवंटित विद्यालयों की संख्या से अधिक थी। तीन जिलों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा एवं इंदौर में यू–डाईस कोड आंवटित विद्यालयों की संख्या मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या से अधिक थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मान्यता संबंधी अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध थे। तथापि डी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी.सी. को मान्यता एवं उसके अद्यतन के अभिलेख संधारित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। जिलों में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या में विसंगति को दूर करने के लिए यू–डाईस एवं शिक्षा पोर्टल दोनो को लिंक किया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य में प्रणाली मौजूद थी। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन की आवधिक निगरानी के लिए डी.ई.ओ. को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.एस.के. ने स्वीकार किया था (जुलाई 2016) कि यदि कोई विद्यालय यू–डाईस या शिक्षा पोर्टल पर नहीं था तो निजी विद्यालयों के संचालित होने का पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जिला अधिकारियों ने निजी विद्यालयों की निगरानी के लिए किसी तंत्र के अभाव को प्रतिवेदित किया।

6.1.2 निजी क्षेत्र के विद्यालयों को अनंतिम मान्यता

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के नियम 11 के अनुसार विद्यालय जिन्होंने आर.टी.ई. मानदंडों की पूर्ति नहीं की थी और जो आर.टी.ई. अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले से स्थापित थे उन्हें मार्च 2013 तक अनंतिम मान्यता प्रदान की जानी थी। राज्य स्तर पर अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किए गए 12 जिलों में 1,883 विद्यालय अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले से कार्यशील थे। तथापि, इन विद्यालयों द्वारा, मान्यता के लिए आवेदन की प्रस्तुती और मान्यता प्रदान किए जाने की दिनांक एवं विद्यालयों की संख्या जिन्हें स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी, उपलब्ध नहीं थी ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्तमान में अनंतिम मान्यता का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग यह अभिनिश्चित नहीं कर सका कि आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले कार्यशील विद्यालयों को अनंतिम/स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

6.1.3 निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता में विलंब

12 नमूना जांच किए गए जिलों में 3,182 विद्यालयों ने मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के भीतर पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत (लॉक) नहीं किए थे। 5,612 प्रकरणों में बी.ई.ई.ओ. ने 15 दिन के भीतर आवेदन अग्रेषित नहीं किए थे एवं 6,074 प्रकरणों में 2010–11 से 2015–16 की अवधि के दौरान डी.ई.ओ. ने विलम्ब से मान्यता प्रदान की। आगे यह पाया गया कि 10 जिलों में 868 प्रकरणों में डी.ई.ओ. लॉकिंग दिनांक 1 जनवरी 00 दर्शाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने निगरानी प्रणाली के अभाव में निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता में विलम्ब होना पाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन जिलों के 136 निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता समाप्ति की दिनांक एवं मान्यता नवीकरण की दिनांक में टाईम गैप था। इस प्रकार, ये 136 विद्यालय गैप अवधि के दौरान बगैर मान्यता के रहे। इनमें से, जिला बालाघाट में दो विद्यालय एवं जिला इंदौर में चार विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र के बाद मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर 414 प्रकरण, इस अनुदेश "लम्बे समय से लंबित–संभावित कारण, दोहरा पंजीकरण या डमी, जिला प्रोग्रामर इसकी जांच करें

एवं आर.एस.के. को सूचित करें ताकि अभिलेखों में सुधार किया जा सके" के साथ लंबित थे।

डी.ई.ओ. ने बताया कि विद्यालयों ने प्रस्ताव समय से प्रस्तुत नहीं किए एवं प्रकरण बी. आर.सी.सी. स्तर पर विलंबित हुए। भविष्य में मान्यता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मान्यता की प्रक्रिया हेतु मध्य प्रदेश शिक्षा का अधिकार नियम में निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए डी.ई.ओ. को निर्देशित किया गया था।

तथ्य यह है कि, निगरानी प्रणाली की कमी के कारण विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्रदान करने में विलंब हुआ था।

6.1.4. आर.टी.ई. मानकों की पूर्ति न करने पर विद्यालयों को बंद करना

आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण 2010–16 के दौरान 998 निजी विद्यालयों की मान्यता वापस ली गई थी। पाँच विद्यालयों ने विभाग में अपील की थी, एक विद्यालय की मान्यता वापस ली गई थी एवं चार अन्य प्रकरण अपूर्ण प्रस्ताव के कारण जिलों को वापस कर दिए गए थे जो कि प्रक्रियाधीन थे।

बिना मान्यता के स्कूल का संचालित

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जिला बुरहानपुर के दो निजी विद्यालयों (नूतन विद्या मंदिर प्राथमिक शाला, शेखापुर, खाकनेर एंव स्वामी रेवानंद जी विद्यालय, अम्बुरा, नेपानगर) ने मान्यता के लिए क्रमशः मार्च 2015 एवं सितम्बर 2014 में आवेदन किया था। मान्यता के आवेदन लम्बित थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि विद्यालय बिना मान्यता के संचालित थे। तथापि विभाग ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिला बुरहानपुर के दोनों प्रकरणों की जांच करने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपयुक्त निरीक्षण के बिना विद्यालयों को मान्यता

श्री लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, पीथमपुर, धार को सितम्बर 2015 में मान्यता प्रदान की गई थी। परन्तु, एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर, स्कूल चलाने के लिए, आवश्यक मानकों के अनुसार विद्यालय में अधोसंरचना की उपलब्धता की जांच पडताल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था (मार्च 2016)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कमियॉ पाई गई :

- आवासीय भवन, जहाँ विद्यालय चल रहा था विद्यालय भवन प्रतीत नहीं होता था। भवन छत विहीन एवं टीन शेड था और कम ऊंचाई थी। कमरों में रोशनी का अभाव था।
- शिक्षक व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त नहीं थे।
- भवन के प्रवेश द्वार के पास शौचालय था एंव गंदा पानी बह रहा था।

जिलाधीश ने विद्यालय की मान्यता वापस लिए जाने के निर्देश दिए थे (अप्रैल 2016) एवं तदनुसार डी.ई.ओ. ने मई 2016 में मान्यता वापस ले ली। इस प्रकार, श्री लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, पीथमपुर, धार को विद्यालय में सुविधाओं के उपयुक्त निरीक्षण के बिना सितम्बर 2015 में मान्यता प्रदान की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जांच पड़ताल के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6.1.5 मान्यता का नवीकरण

उन विद्यालयों जिनके शिक्षकों के पास मार्च 2015 तक आवश्यक न्यूनतम अर्हता नहीं थी, उनके लिए 2016–17 में शिक्षा पोर्टल पर डी.ई.ओ. होल्ड एप्लिकेशन ऑप्शन विकसित किया गया था। राज्य स्तर पर, 3,370 मान्यता नवीकरण के प्रकरण एवं 1,605 मान्यता के नए प्रकरण लंबित थे।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि इस मुद्दे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में लाया गया था एवं शिक्षक जिनके पास व्यावसायिक अर्हता नहीं थी उन्हें अवसर देने के लिये तीन वर्ष की शिथिलता प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया था। भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात होल्ड एप्लिकेशन ऑप्शन पर रखे गए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

6.2 गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूहों एंव दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों का प्रवेश

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) विनिर्दिष्ट करती है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय पहली कक्षा में आस पास के दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा।

अभिलेखो की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि विभाग ने आस पास के निजी विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों को प्रवेश देने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदेश जारी किए थे। राज्य में इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से प्रवेश प्रारम्भ हुए थे।

6.2.1 गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित न होना

लेखापरीक्षा ने आस पास के निजी क्षेत्र के विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों के प्रवेश में निम्नलिखित कमियां पाई :

- विभाग को 2011–16 के दौरान संचालित गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा प्री–स्कूल शिक्षा में इनटेक केपेसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों के डी.पी.सी. को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार, विभाग/डी.पी.सी. ने विद्यालय में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों के कक्षा एक अथवा प्री–स्कूल शिक्षा में उस कक्षा के कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित नहीं किया।
निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले विद्यालयवार 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी एकत्रित की गई थी।
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किए गए जिलों में डी.पी.सी. निजी क्षेत्र के विद्यालयों की इनटेक केपेसिटि पर जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

राज्य में 67 से 71 प्रतिशत तक क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों ने आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत बालकों का प्रवेश दिया था।

- आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार 2011–16 के दौरान राज्य में 67 से 71 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों ने 7.01 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था। शेष विद्यालयों द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन न करने के कारणों की जानकारी विभाग को नहीं थी। आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बालकों का विवरण **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: राज्य स्तर पर आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी अ–सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों का नामांकन का विवरण

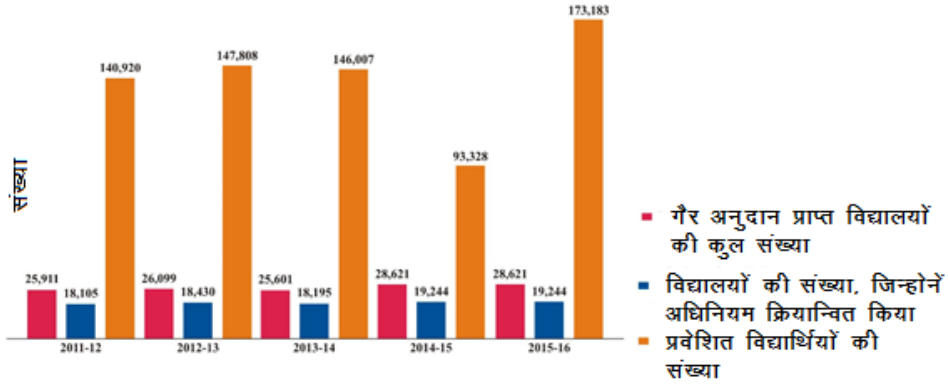

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

- नमूना जांच किए गए जिलों में 2011–16 के दौरान गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में 2.60 लाख विद्यार्थी नामांकित हुए थे एवं प्रवेश देने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 83 से 88 प्रतिशत था। नमूना जांच किए गए चार जिलों में 2011–16 में प्रवेश दिए गए 61,307 विद्यार्थियों में से 58,744 विद्यार्थियों ने 2015–16 तक अध्ययन जारी रखा। तीन नमूना जांच किए गए जिलों में 2011–15 के दौरान प्रवेश दिए गए 61,594 विद्यार्थियों में से केवल 58,782 विद्यार्थी 2014–15 में अध्ययनरत होना पाए गए। डी.पी.सी. ने विद्यार्थियों के ड्रापआउट होने का कारण नहीं बताया।

सरकार द्वारा गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों पर सहायता की कमी के कारण आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकित बच्चे ड्रापआउट हो गए थे।

राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पत्र (जून 2014) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री को बताया था कि गणवेश, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य आवश्यकताओं पर व्यय का वहन आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों के माता–पिता द्वारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चों के लिए ऐसी पात्रता का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे बच्चों की प्रथम तीन वर्षो की प्रतिपुष्टि से परिलक्षित हुआ कि यदि सरकार ने ऐसे बच्चों को सहायता नहीं दी, तो वे विद्यालय से ड्रापआउट हो जायेगें एवं ऐसे बच्चों को निजी विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का मूल उद्देश्य समाप्त हो जावेगा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि 25 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों में से ड्रापआउट बच्चों का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित करने पर विचार किया जा रहा था।

- मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के नियम 7(4) के अंतर्गत, जन शिक्षक को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर निजी तथा विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय के पडोस की सीमाओं में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की एक सूची संधारित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि जन शिक्षक ने निजी क्षेत्र एवं विनिर्दिष्ट प्रवर्ग विद्यालयों में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों की जानकारी संधारित नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए थे ।

- 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिये, नोडल अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से तीन प्रतियों में प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आर.एस.के. ने डी.ई.ओ. एवं डी.पी.सी. को निर्देशित किया था (फरवरी

2014 एवं दिसम्बर 2014) एवं एक प्रति बालकों के संरक्षक को जारी की जानी थी। प्रमाण पत्र के माध्यम से संरक्षक, इस तथ्य से अवगत होंगे कि बच्चे की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि आर.एस.के. के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे।
निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि पूर्व में जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- आर.एस.के. द्वारा निर्देशित किया गया था (अगस्त 2015) कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की जांच क्लस्टर स्तर पर एक टीम गठित कर की जानी थी। लेकिन, ऐसे जांच प्रतिवेदन न तो जिला स्तर और न ही राज्य स्तर पर उपलब्ध थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि दस जिलों से जानकारी प्राप्त हो चुकी थी एवं शेष जिलों से जानकारी एकत्रित की जाएगी।

गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई।

- अधिनियम की धारा 13(1) गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया को निषेध करती है। शेष 75 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार (नवम्बर 2016) प्रत्येक विद्यालय को स्वयं की प्रवेश नीति बनानी थी एवं नीति लोकहित सूचनार्थ पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करनी थी, व्यापक प्रचार प्रसार करना था एवं विद्यालय की विवरण पुस्तिका में उल्लेख करना था। जैसा कि विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा बनाई गई प्रवेश प्रक्रिया/नियमों को डी.ई.ओ. को भेजा जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने उनके द्वारा निर्मित प्रवेश प्रक्रिया/नियम डी.ई.ओ. को प्रस्तुत नहीं किए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.2.2 निजी विद्यालयों द्वारा फीस स्ट्रक्चर की घोषणा

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 11 विनिर्दिष्ट करता है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस को अधिसूचित करना चाहिए एवं शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व इसकी सूचना डी.ई.ओ. को दी जानी चाहिए। आर.एस.के. द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2011) के अनुसार, निजी क्षेत्र के विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व कक्षावार सभी तरह की फीस के बारे में डी.ई.ओ. को सूचित करना था। डी.ई.ओ. को विद्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर शिक्षा पोर्टल में विद्यालय फीस को अपलोड करना था। परन्तु, विद्यालयों द्वारा इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था एवं डी.ई.ओ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार विभाग, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों के पश्चात भी, निजी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा, आर.टी.ई. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

6.3 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(बी) विनिर्दिष्ट करती है कि अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय को उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है,

न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।

नमूना जांच किए गए जिलों में, जिला सिंगरौली को छोडकर 389 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय संचालित थे। अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या जिलें में उपलब्ध नहीं थी। अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को न तो डी.पी.सी. और न ही डी.ई.ओ. एवं ए.सी.टी.डी. ने सुनिश्चित किया, जिन्होंने विद्यालयों को सहायता अनुदान जारी किए थे, और न ही उनको इन विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के बारे में जानकारी थी। तथापि, नमूना जांच किए गए अनुदान प्राप्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 87 विद्यालयों में से 61 विद्यालय विद्यार्थियों से फीस वसूल नहीं कर रहे थे एवं 26 विद्यालय फीस ले रहे थे। इन 26 विद्यालयों में से, 10 विद्यालयों ने आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिए थे एवं 10 अन्य विद्यालयों में 2011–16 के दौरान प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का प्रतिशत आवश्यक न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि 26 विद्यालयों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही थी।

6.4 विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश

शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 2(त) के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों को विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है। नमूना जांच किए गए 10 जिलों के 11 केंद्रीय विद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालयों में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या जिला स्तर पर डी.पी.सी. के पास उपलब्ध नहीं थी।
- आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 2(घ) के उददेश्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अलाभित समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम के पट्टाधारी परिवार एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त) हैं। इसी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 2(ड) के उद्देश्य के लिए दुर्बल वर्ग, राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा परिभाषित गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार है।
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग/गरीबी रेखा के नीचे/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर नवोन्नत वर्ग) की परिभाषा/पात्रता मानदंड संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे।
लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रपत्रों में दो अधिसूचित अलाभित समूहों यथा विमुक्त जाति एवं वन ग्राम के पट्टाधारी परिवार को सम्मिलित नहीं किया गया था।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी उप आयुक्त एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन के निदेशकों को निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2012)। आदेशानुसार आर.टी.ई. कोटा अंतर्गत प्रवेश दिए गए बच्चों से फीस नहीं ली जानी थी। प्रत्येक बच्चे को एक सेट एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा प्रदाय की जानी थी एवं नोटबुक, लेखन सामग्री, गणवेश एवं परिवहन पर होने वाले अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति बच्चों के माता–पिता द्वारा उचित बिल प्रस्तुत किए जाने पर की जानी थी।

नमूना जांच किए गए केंद्रीय विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि आर.टी.ई. कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिए गए 2,928 विद्यार्थियों में से 710 विद्यार्थियों को पाठयपुस्तकों की आपूर्ति नहीं की गई थी। आगे, 2010–16 के दौरान 994 विद्यार्थियों को गणवेश, 1,633 विद्यार्थियों को लेखन सामग्री एवं 1,431 विद्यार्थियों को परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि आर.टी.ई. के अंतर्गत दिए गए प्रवेश केंद्रीय विद्यालय प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति की गई थी।

6.5 अनुशंसाऐं

- विभाग को निजी विद्यालयों के संचालन एवं उनकी गतिविधियों की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र विकसित करना चाहिए। विद्यार्थियों के हित में निजी विद्यालयों के आरम्भ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि निजी विद्यालयों के संचालन की निगरानी की जा रही थी। अनुशंसा के अनुसार प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

- शिक्षा पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विकसित तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है एवं भविष्य में सुविधा के लिए मान्यता संबंधी अभिलेखों का संधारण राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी थी। डी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी.सी. को मान्यता संबंधी अभिलेखो के संधारण एवं उनके अद्यतन हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

- गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा बनाई गई प्रवेश नीति एवं फिस स्ट्रक्चर प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रयास करने चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बसाहटवार विद्यालयों के स्थान प्रचारित करना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम में शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व निजी विद्यालयों द्वारा डी.ई.ओ. को फीस स्ट्रक्चर सूचित करने का प्रावधान था। प्रावधान के अनुपालन की निगरानी की जाएगी।